



Estd. 1917

पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY
NAAC Accredited B+ Grade

कार्यालय आदेश

दावों के सम्परीक्षण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम / सेवा परिनियम अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी शासकीय दिशा-निर्देशों के आलोक में तथा दिनांक 11.09.2025 एवं 13.09.2025 को सम्पन्न क्रमशः सांविधिक अनुकम्पा समिति / अभिषद की बैठक में यथा स्वीकृत-अनुमोदित सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के निम्नलिखित आश्रितों को वेतन स्तर -2 (19900-63200) प्रारम्भिक मूल वेतन 19900/- एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य भत्ता सहित अनुकम्पा के आधार पर समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक) में नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम	पिता/पति/माता का नाम	मृत कर्मचारी का पदनाम/पदस्थापना	अभ्यर्थियों की श्रेणी	नियुक्त आश्रित की इकाई
1	आशा कुमारी	पुत्री स्व० प्रेम कुमार	गैस मैन / पटना सायंस कॉलेज	अन्य पिछड़ा वर्ग	इकाई -II
2	ललित कुमार	पुत्र स्व० उमेश कुमार	माली / पटना सायंस कॉलेज	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	इकाई -II
3	मनीषा कुमारी	पुत्री स्व० विक्रम कुमार	अनुसेवक / पटना कॉलेज	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	इकाई -II

क. उपरोक्त सभी नवनियुक्त कर्मचारियों की परीक्षा- अवधि योगदान तिथि से दो वर्षों की होगी और उन्हें नई अंशदायी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।

ख. सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को 25 सितम्बर 2025 तक कुलतचिव कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

ग. योगदान के पूर्व :-

- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय औषधालय, पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त स्वस्थता प्रमाणपत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

19/9/25

कृ.पृ.उ.
पृ. 1/2

2. किसी भी आपराधिक मामले में सजायाफ्ता नहीं होने अथवा कोई आपराधिक मामला उनके विरुद्ध लम्बित नहीं रहने के सम्बन्ध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दायर शपथपत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

घ. सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को शपथपत्र के अनुसार मृत कर्मचारियों के परिवार का भरण-पोषण करना होगा एवं शपथपत्र के अन्य उपबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि मृत कर्मचारी के आश्रित द्वारा उनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होगी या समर्पित शपथ पत्र / प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायगी।

ड. शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो सम्बंधित व्यक्ति की सेवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। उनपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं भुगतान किए गए वेतन एवं अन्य भत्तों की राशि वसूल की जाएगी।

कुलपति के आदेश से,

Shahin
13-9-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय

ज्ञाप संख्या- स्था0/1381

दिनांक:- 19/09/2025

प्रतिलिपि:- 1. कुलाधिपति के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना 2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना 3. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय 5. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 6. सभी छात्रावासों के अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय 7. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 8. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 9. प्रभारी प्रध्यापक, केन्द्रीय पुस्तकालय पटना विश्वविद्यालय 10. विश्वविद्यालय अभियंता, निर्माण शाखा, पटना विश्वविद्यालय 11. संपर्क पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 12. प्रभारी पदाधिकारी, आई0टी0 सेल0, पटना विश्वविद्यालय (वेब साईट पर अपलोड करने हेतु) 13. कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय 14. कुलसचिव के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय 15. उपर्युक्त सम्बंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shahin
13-9-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय

Amr
19/9/25

समाप्त
पृ. 2/2